प्रेस नोट दिनांक 17.03.2026

<u>थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।</u>

<u>थाना इज्जतनगर, बरेली के रहपुरा चौधरी में आजीवन कारावस से दण्डित/जमानत पर चल रहे अपराधी द्वारा अपनी सास एवं साले की चाकू से गोदकर नृशंस दोहरी हत्या एवं पत्नी को गम्भीर रुप से घायल करने वाला कुख्यात अफसर खाँ उर्फ बोरा कुछ ही घंटों में पुलिस की आत्मरक्षार्थ/जवाबी कार्यवाही में मृत, कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर मय एक मैगजीन, 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 10 खोखा कारतूस .32 बोर, दोहरे हत्याकांड से सम्बन्धित आलाकत्ल खून लगा चाकू आदि अन्य सामान बरामद।</u>

- **<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>**

अफसर खाँ उर्फ बोरा पुत्र सरवर खाँ नि0 रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर, बरेली (40 वर्ष) का अपनी पत्नी साईमा से पारिवारिक कारणों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दिनांक 16.03.26 को अफसर खाँ उर्फ बोरा द्वारा वादी श्री राशिद खाँ पुत्र बुन्दन खाँ नि0 रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर, बरेली के घर पहुंचकर कहा गया कि जल्द ही ईद का त्यौहार है, पत्नी से मेरा समझौता कराकर उसे मेरे घर भिजवा दो। राशिद खाँ द्वारा साईमा के परिजनों को फोन कर अपने घर पर वार्ता करने हेतु बुलवा लिया गया, जिस पर अभियुक्त की सास श्रीमती आसमा पत्नी नन्हे, आदिल पुत्र नन्हे (अभियुक्त का साला) तथा पत्नी साईमा वार्ता के लिए राशिद के घर पहुंचे थे। **वार्ता के दौरान दोनो पक्षो में पूर्व में हुए विवाद को लेकर कहासुनी होने लगी, इसी बीच अफसर खाँ ने अपने साले आदिल को जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया और जब आदिल को बचाने उसकी बहन साईमा व माँ आसमा आयी तो अभियुक्त अफसर खाँ उर्फ बोरा ने इन दोनो (अपनी सास व पत्नी) को भी चाकू से वार कर गम्भीर रुप घायल कर दिया और अभियुक्त अफसर खाँ उर्फ बोरा धमकी देकर चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगो द्वारा गम्भीर रुप से घायल तीनो लोगो को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा श्रीमती आसमा (अभियुक्त की सास) व आदिल (अभियुक्त का साला) को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पत्नी साईमा गम्भीर अवस्था में अस्पताल में उपचाराधीन है। मृतकों के शव का पंचायतनामा भरकर पीएम की कार्यवाही करायी गयी।**

घटना की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, बरेली, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय, बरेली, प्र0नि0 इज्जतनगर, बरेली, फील्ड यूनिट आदि इकाइयों से साथ घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया गया तथा हत्याभियुक्त अफसर खाँ उर्फ बोरा पुत्र सरवर खाँ नि0 रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर, बरेली की गिरफ्तारी हेतु 03 टीमें गठित की गयी।

प्रकरण के सम्बन्ध में श्री राशिद खाँ पुत्र बुंदन खाँ नि0 रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर, बरेली की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इज्जतनगर, बरेली पर **मु0अ0स0 204/2026 धारा 103/109/351(3) बीएनएस बनाम अफसर खाँ उर्फ बोरा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।**

- **<u>सूचना/पुलिस टीम/कार्यवाही-</u>**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के क्रम में यक्ष ऐप की सहायता से डबल मर्डर के जघन्य प्रकरण में आरोपी का सीसीटीएनएस/ई-प्रिजन इंटीग्रेशन सिस्टम के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड (हुलिया, विशेष पहचान, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, पहचान पत्र, आम छवि एवं आपराधिक इतिहास) का विश्लेषण किया गया और विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु उसके मिलने के संभावित ठिकानों को चिन्हित कर अभियुक्त की तलाश में दबिश आदि की सतत एवं सार्थक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभियुक्त की निरंतर क्रियाशीलता के दृष्टिगत उपराचाधीन घायल साईमा एवं दोहरे हत्याकांड के वादी एवं गवाहों की सुरक्षा को देखते हुए ग्राम

रहपुरा चौधरी संबंधित स्थान पर पुलिस फोर्स का व्यवस्थापन किया गया। आरोपी अफसर खाँ उर्फ बोरा नि0 रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर, बरेली की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार दबिश एवं तलाश में लगी थी। आज दिनांक 17.03.2026 की प्रातःकाल प्र0नि0 इज्जतनगर, बरेली मय पुलिस फोर्स सरकारी वाहन के थाना क्षेत्र में सम्भावित स्थानों पर हत्याभियुक्त की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान SHO इज्जतनगर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अपनी सास व साले की दोहरी हत्या एवं पत्नी को गम्भीर रुप से घायल करने वाला अभियुक्त कुछ देर पहले ग्राम मुडिया अहमदनगर की तरफ को गया है, जिसके पास नाजायज असलाह है तथा फिर से कोई संगीन घटना करने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के क्रम में पुलिस टीम द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट धारण करते हुए तत्परता से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर के बताये स्थान सैदपुर मोड़ के करीब पहुंचे तो गाडी की रोशनी में सामनें से एक व्यक्ति सहारा ग्राऊण्ड की तरफ को जाने वाले कच्चे रास्ते पर मुडकर तेज कदमों से जाता दिखायी दिया। पुलिस टीम द्वारा शीघ्रता से आगे बढते हुए उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु घेरा-बंदी की कोशिश की गयी और उसे रुकने को कहा गया तो उक्त व्यक्ति ने **पिस्टल निकालकर पुलिस पार्टी को गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से समय करीब 05.40 बजे प्रातः फायर करने शुरु कर दिये, जिससे एक फायर SHO इज्जतनगर की सरकारी गाडी में लगने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी**, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा टैक्टिस द्वारा अपना बचाव करते हुए गाडियों को रोककर गाडी से नीचे उतरकर बुलन्द आवाज में अभियुक्त को ललकारा गया कि आपको घेर लिया गया है, आत्मसमर्पण कर दो, इस पर भी बदमाश ने आत्मसमर्पण नही किया और गाली देते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग जारी रखी। पुलिस टीमों द्वारा कार्डन डालकर घेराबन्दी मजबूत करते हुए इसे पुनः एक बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन इसके उपरान्त भी बदमाश द्वारा निरन्तर फायरिंग की जाती रही, जिससे **बदमाश की एक गोली SHO इज्जतनगर के द्वारा पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट में सीने पर आकर लगी व उनके हमराह हे0कां0 रुपेन्द्र व कां0 अनुराग तिवारी भी गोली लगने से घायल हो गये। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में संयमित एवं न्यूनतम फायर किया गया। कुछ देर बाद बदमाश की तरफ से कराहने की आवाज आयी और फायर आना भी बन्द हो गया तो कुछ इन्तजार करने के बाद पुलिस पार्टियों द्वारा टैक्टिकल हरकतों से अपना बचाव करते हुए आगे बढ़कर देखा गया तो एक बदमाश सहारा ग्राउंड में घायल अवस्था में मिला**, जिसे पुलिस टीम में शामिल हे0का0 रुपेन्द्र ने पहचान कर बताया कि इसका नाम **अफसर खां उर्फ बोरा पुत्र सरवर खां निवासी रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर बरेली** है। घायल बदमाश बोल नही पा रहा था लेकिन सांसे चल रही थी। अतः तत्परता से उसकी जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ से **एक पिस्टल .32 बोर (PETRO & BRATA MADE IN ITALY, AUTO PISTOL CAL-765.A-773 व ONLY FOR PUBLIC SUPPLY लिखा) एवं आस पास से .32 बोर के 10 खोखा कारतूस, पैंट की जेब से 04 जीवित कारतूस .32 बोर तथा नकद रुपये, बीड़ी का बण्डल एवं माचिस आदि अन्य सामान बरामद हुआ।** बरामद पिस्टल की बैरल को सूंघा तो ताजे चले बारूद की गन्ध आ रही थी। घायल अभियुक्त की पहनी पेन्ट की बायी जेब से एक रुमाल में लिपटा हुआ **दोहरे हत्याकांड में प्रयुक्त आलाकत्ल खून लगा चाकू संबंधित मु0अ0सं0 204/26 धारा 103(1)/109/351(3) बीएनएस बरामद हुआ।** तत्परता से कार्यवाही करते हुए घायल बदमाश अफसर खाँ उर्फ बोरा एवं पुलिस टीम की ओर से घायल हे0कां0 653 रुपेन्द्र व कां0 218 अनुराग तिवारी को मौके से जीवन रक्षार्थ/ईलाज हेतु सरकारी वाहन से जिला अस्पताल बरेली भेजा गया, जहां पर घायल बदमाश **अफसर खाँ उर्फ बोरा पुत्र सरवर खाँ नि0 रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर, बरेली (40 वर्ष) को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। घटना में घायल दोनो पुलिस कर्मी जिला अस्पताल में उपचाराधीन है।** बदमाश अफसर खाँ उर्फ बोरा उपरोक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दो पुलिस कर्मियों को घायल कर दिये जाने आदि की घटना के सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पर **मु0अ0सं0 206/2026 धारा 109/352/324 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है।**

- **<u>बरामदगी-</u>**

- एक ऑटोमेटिक पिस्टल .32 बोर (PETRO & BRATA MADE IN ITALY, AUTO PISTOL CAL-765.A-773 व ONLY FOR PUBLIC SUPPLY लिखा)
- .32 बोर के 10 खोखा कारतूस,
- .32 बोर 04 जीवित कारतूस
- नकद रुपये, बीड़ी एवं माचिस आदि
- दोहरे हत्या कांड में प्रयुक्त आलाकत्ल खून लगा चाकू

➢ **अपराधी का विवरण-**

आरोपी अफसर खाँ उर्फ बोरा उपरोक्त शुरु से ही आवारा किस्म का था, जो पढ़ा लिखा नहीं है। अपराधी की प्रकृति एवं व्यवहार शुरु से ही अत्यन्न हिंसक, क्रूर एवं उसकी प्रवृति आपराधिक रही है। **उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा वर्ष 2006 में अपने मामा का भी गला रेतकर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सीबीगंज, बरेली पर मु0अ0स0 1202/2006 धारा 302/452/34 भादवि पंजीकृत है, जिसमें करीब 10 वर्ष जेल में निरुद्ध रहा और इस मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त अफसर खाँ उर्फ बोरा को आजीवन कारावस की सजा से दण्डित किया गया था, जिसमें वर्तमान में अपीलीय न्यायालय से अपील/जमानत पर जेल से बाहर था।** जेल से बाहर आने के पश्चात भी अभियुक्त अपराधो में संलिप्त रहा है। इस दौरान इसके द्वारा चोरी एवं मारपीट की अन्य घटना भी कारित की गयी है।

➢ **अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 141/15, FIR NO. 118/115 धारा 420/468/471 आईपीसी व थाना इज्जतनगर, बरेली।
2. मु0अ0सं0 287/23 धारा 323/506 आईपीसी थाना इज्जतनगर, बरेली।
3. मु0अ0सं0 1202/06 धारा 302/452/34 आईपीसी थाना सीबीगंज, बरेली। (आजीवन कारावास)
4. मु0अ0सं0 16/15 धारा 379/411 आईपीसी थाना बारादरी, बरेली। (वाहन चोरी)
5. मु0अ0सं0 765/14 धारा 379 आईपीसी थाना इज्जतनगर, बरेली।
6. मु0अ0सं0 204/26 103(1)/109/351(3) बीएनएस 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इज्ज़तनगर (डबल मर्डर)
7. मु0अ0सं0 206/26 धारा 109/352/324 बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना इज्ज़तनगर (मुठभेड़)

➢ **आज दि0 17.03.2026 को मुठभेड़ की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग/अनुवर्ती कार्यवाहीः-**

आज दिनांक 17.03.2026 को प्रातःकाल थाना इज्जतनगर क्षेत्रान्तर्गत अपराधी से हुई मुठभेड़ से सम्बन्धित उपरोक्त प्रकरण में थाना इज्जतनगर जनपद बरेली पर **मु0अ0स0 206/2026 धारा 109/352/324 बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अफसर खाँ उर्फ बोरा उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। मुठभेड़ में ढेर हुए अपराधी अफसर खाँ उर्फ बोरा पुत्र सरवर खाँ नि0 रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर, बरेली (40 वर्ष) का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया है तथा मृतक बदमाश का पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराये जाने एवं प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु पत्र जिलाधिकारी बरेली को प्रेषित किया गया है।** पोस्टमार्टम की कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है।

➢ **पुलिस टीम में शामिल कार्मिकों का विवरण-**

1. प्र0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना इज्जतनगर, बरेली
2. उ0नि0 श्री मुनेन्द्र सिंह थाना इज्जतनगर, बरेली
3. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना इज्जतनगर, बरेली
4. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना इज्जतनगर, बरेली
5. हे0का0 647 धनीश सक्सैना थाना इज्जतनगर, बरेली
6. हे0का0 रुपेन्द्र थाना इज्जतनगर, बरेली (घायल)
7. हे0का0 चालक इंद्रजीत थाना इज्जतनगर, बरेली
8. हे0का0 चालक 266 विपुल कुमार थाना इज्जतनगर, बरेली
9. हे0का0 रामनरेश थाना इज्जतनगर, बरेली
10. का0 अनुराग तिवारी थाना इज्जतनगर, बरेली (घायल)
11. का0 सौरव कुमार थाना इज्जतनगर, बरेली